

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

विषय :- बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत एन.एच.-70 के किमी० 248.400 से किमी० 280.000 तक (बहराइच-श्रावस्ती सेक्शन) मार्ग चौड़ीकरण परियोजना हेतु 20.072 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2320 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग के अन्तर्गत एन.एच.-730 (बहराइच-बलरामपुर मार्ग) के किमी० 280 से 310 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 14.991 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2322 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 35.063 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 4642 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/61/2017/एफसी/517 दिनांक 13.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से REC की बैठक दिनांक 12.10.2017 में दिये गये निर्देशानुसार अग्रेतर कार्यवाही करते अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।।

2- विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 13.10.2017 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अपेक्षा के अनुक्रम में अग्रेतर कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

mnoje
(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।